

राजस्थान सरकार

(कायदा - 129)

2024/118

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला - भीलवाड़ा (राज.)

किस्म मुकदमा	नंबर मुकदमा	तारीख दायर	तारीख फैसला	पेशी दिनांक
1	2	3	4	5
111-128	66/24	14/3/2024		28/3/2024
			DATE 23/4/24	

अनवान

श्री कलाशचन्द्र शं. द्वि. जाति खरी

श्री नन्दलाल शं. मोतीलाल जाति सुचार

निवासी चान्द जी की खेड़ी

निवासी चान्द जी की खेड़ी

अधिवक्ता वादी / प्रार्थी / अपीलान्त

अधिवक्ता प्रतिवादी / विपक्षी / रैस्पोंडेंट

डिक्रीदार

मदयून

श्री सुमित कु. जोशी

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम





विजौलियां

किरम मुकदमा - 111-128

नाम

जन्मलाल

नम्बर 66 / 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
14/3 /2024	<p>प्रार्थना पत्र सीमे से बाद जांच पेश हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र जारी हों। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक <u>28/3/2024</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां </p>	
28/3/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रार्थना पत्र दिनांक <u>4/4/24</u> को वास्ते <u>Noty</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
4/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान P.O. सा. दौरे पर हैं। प्रार्थना पत्र दिनांक <u>23/4/24</u> को वास्ते <u>Noty</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी </p>	
23/4/24	<p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीय की बाद-तलबी प्राप्त, उसे शामिल पत्रावली किया गया, विपक्षी के विरुद्ध छ-पक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश सुनाए गए। पत्रावली फंसल 23/4/24, नम्बर 66 मय होकर वास्ते पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी विजौलियां जिला-भीलवाड़ा </p>	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियाँ, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :- 66/24

तारीख दायर 14/03/24

कैलाशचन्द्र पुत्र हीरा जाति खाती उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

---प्रार्थी

बनाम्

- 1- नन्दलाल पुत्र मोतीलाल जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- भू-स्वामी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 रा0ले0रे0 एक्ट

:- आदेश :-

दिनांक :- 23/04/24

प्रार्थनापत्र प्रार्थी श्री कैलाशचन्द्र ने जरिये अभिभाषक श्री मोहनलाल जोशी, सुमित जोशी, गौरव शर्मा, जसवन्त सिंह सौलंकी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भूमि मौजा ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 49 पर आराजी संख्या 568 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थनापत्र की तार्ईद में शपथपत्र संलग्न हैं। प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2025-26 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया मौजा ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता संख्या 49 पर आराजी संख्या 568 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि की बशामालात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोश में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे। प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों। आदेश सुनाया गया।



उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 66/24

तारीख दायर 14/03/24

प्रेषित :-
तहसीलदार
बिजौलियों

विषय :- प्रकरण संख्या 66/24 प्रत्थरगढी बाबत।

कैलाशचन्द्र पुत्र हीरा जाति खाती उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)

—प्रार्थी

बनाम्

- 1- नन्दलाल पुत्र मोतीलाल जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 2- मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति सुथार उम्र वयस्क निवासी चान्द जी की खेड़ी तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0)
- 3- भू-स्वामी जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) —विपक्षीगण

उपर्युक्त विशयान्तर्गत अनवानी प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम चान्द जी की खेड़ी पटवार हल्का चान्द जी की खेड़ी, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियों जिला भीलवाड़ा (राज0) में खाता संख्या 49 पर आराजी संख्या 568 रकबा 0.2428 हैक्टेयर भूमि की बशमलात पड़ोसीयान के पत्थरगढी कब्जा जावें। मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जारिये पत्थरगढी कब्जा नहीं हटाया जावे तथा समक्ष न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सूचित करें। आदेश पत्थरगढी हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक सलावटिया को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस ~~500~~ 2400 तय कि जाती है वक्त मौके पर प्रार्थी अदा करेगा। पत्थरगढी करने से पुर्व पड़ोसी एवं विपक्षीगणो को सुचित करते हुए पत्थरगढी करें।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन मे आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।



उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया जिला भीलवाड़ा